

कार्यालय प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक:-मे0का0दे0 / आदेश / 2023-24 /

दिनांक:-26.06.2023

कार्यालय आदेश

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2023/2323, दिनांक 26 जून 2023 एवं निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-C-427/निदे0म0क0/अनुदान-22/आ0स0गठन/2023-24, दिनांक 9 जून 2023 के क्रम में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1मुंम0/60-3-14-13(7)/14, दिनांक 09.06.2014 के अनुरूप महिलाओ के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के धारा 4(1)में अर्न्तनिहित नियमानुसार एक आन्तरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committee) के गठन में निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता है:-

क्र0सं0	चिकित्सा शिक्षक का नाम	पदनाम	
01.	डा0 सीमा बोस	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग	पीठासीन अधिकारी
02.	डा0 मृतुन्जय पाण्डेय	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एनाटामी विभाग	सदस्य
03.	डा0 श्वेता सिंह	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री विभाग	सदस्य
04.	डा0 अनीता रावत	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी विभाग	सदस्य
05.	डा0 इकबाल	सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग	सदस्य
06.	डा0 कन्हैया प्रसाद	सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, नेत्र रोग विभाग	सदस्य

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया।

पत्रांक:-मे0का0दे0 / आदेश / 2023-24 / 619 तददिनांक:-
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
02. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ।
04. महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
05. मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
06. जिलाधिकारी, देवरिया।


प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया।